राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1) विभाग

सामान्य क्रमांक: प.2(1)सा.प्र/1/2009

जयपुर, दिनांक 22-2-2010

विषयः– राजकीय शोक के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने/ आयोजित नहीं करने हेतु निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजकीय शोक के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने/ आयोजित नहीं करने हेतु दिशा निर्देश निम्न प्रकार है:–

(अ)राजकीय शोक के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जावें।

1. शासकीय उदघाटन, शिलान्यास, स्वागत/विदाई समारोह
2. किसी भी प्रकार के राजकीय मनोरंजन के कार्यक्रम
3. विभिन्न त्यौहारों पर आयोजित होने वाले शासकीय भोज/अल्पाहार
4. गणमान्य व्यक्ति के सम्मान में आयोजित होने वाले राजकीय भोज/अल्पाहार
5. प्रदर्शनियां/मेले
6. राजहित में उक्त प्रावधानों में शिथिलन दिया जा सकेगा व उक्त प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) इस दौरान निम्न प्रकार के आयोजन किए जा सकेंगे परन्तु इसमें औपचारिक रूप से किसी प्रकार के पुष्पगुच्छ/मालाओं से स्वागत नहीं किया जाएगा तथा सभी अल्पाहार/भोज आदि पर पाबंदी होगी।

1. साक्षात्कार
2. शासकीय मिटिंग
3. किसी प्रकार की जयंती/पुण्य तिथि पर पुष्प अर्पण सादगीपूर्ण तरीके से किये जा सकेंगे।
4. सेमीनार/गोष्ठियां/कॉन्फ्रेन्स इत्यादि
5. स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस/गांधी जयंती के कार्यक्रम यथानुसार आयोजित किये जा सकेंगे।
6. भारत सरकार के कोई निर्देश उक्त प्रावधानों से अतिकमित होते हैं तो भारत सरकार के निर्देश प्रभावी रहेंगे।

ये निर्देश प्रोटोकॉल निर्देशिका– 1996 (द्वितीय संस्करण) का अध्याय 11 (ब) में सम्मिलित माना जायेगा।

(सलेकेश वर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
एवं चीफ ऑफ प्रोटोकोल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी. (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. सब एरिया कमाण्डर, आर्मी हैड क्वार्टर जयपुर
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
13. रक्षित पत्रावली

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल